

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(1)न्याय/2024 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 19/08/2026

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर कार्य करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

क्र. स.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	कार्यव्यवस्थार्थ स्थान
1.	भारती ठकुरानी	उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय डीडवाना-कुचामन	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय ब्यावर
2.	विधि जोशी	सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय बांसवाड़ा
3.	विनीत पण्ड्या	सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय बांसवाड़ा	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय सलूमबर
4.	अम्बे देवी सोनी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर	वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर
5.	गिरधारी लाल स्वामी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद, दौसा	सहायक विधि परामर्शी नगर निगम, जयपुर
6.	अलका रानी	कनिष्ठ विधि अधिकारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, बून्दी	कनिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्भाग कोटा

इस विभाग की आज्ञा प.22(1)न्याय/2024 पार्ट-2 दिनांक 24.07.2026 में श्री अमित चौधरी, सहायक विधि परामर्शी के संबंध में आगामी आदेशों तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में ही कार्यरत रहने का निर्देश एतद्वारा विलोपित किया जाता है।


19/8/26

इस विभाग की आज्ञा प.22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 के क्रम संख्या 83 पर श्री कल्पेश पांचाल, सहायक विधि परामर्शी आगामी आदेशों तक उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

नोट:- उक्त अधिकारीगण कार्यव्यवस्थार्थ स्थान पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करेंगे।

आज्ञा से

 19/8/26

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यव्यवस्था हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. श्री/सुश्री/श्रीमती को पालनार्थ।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

 19/8/26

संयुक्त शासन सचिव